

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या-03 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक व पदस्थापन स्थान राउमावि (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	हेनलता अग्रवाल, व्या. इतिहास, सांभरिया, बस्ती, जयपुर	माह अगस्त 2021	राउमावि मोहनपुरा बस्ती में व्याख्याता हिन्दी के पद विरुद्ध
2	ओमप्रकाश रेंगर, व्या. इतिहास, अमरसर, शाहपुरा-जयपुर	माह फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक	राउमावि राडावास, शाहपुरा-जयपुर में व्याख्याता कृषि विज्ञान के पद विरुद्ध
3	भंडर सिंह ठाका, व्या. इतिहास, बादसर, लक्ष्मणगढ-सीकर	माह जुन 2021 से आगामी आदेश तक	सेठ बंशीधर जालान राउमावि रतनगढ-चुरु में व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बंधित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिक्षा/माध्य/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/बो.3/2020

दिनांक- 25/8/21

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. संबधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
2. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबधित शाला/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर